संख्या-12/2022/2098535/2022/श्रम-2

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक : 31 मई, 2022**

विषय : उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित निर्माण कामगार आवास सहायता योजना को समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-391/भ0नि0बो0-(250 डी0)-22, दिनांक 22-04-2022 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बोर्ड की 49वीं बैठक दिनांक 24-03-2021 में बोर्ड द्वारा निर्माण कामगार आवास सहायता योजना को समाप्त किये जाने के लिये गये निर्णय के क्रम में निर्माण कामगार आवास सहायता योजना को समाप्त किये जाने हेतु शासन स्तर से अनापत्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संदर्भगत योजना को समाप्त किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है कि इस संबंध में बोर्ड, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं संगत नियमावली, 2009 में उल्लिखित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा हितों का संरक्षण पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हित में पूर्णत: सुनिश्चित करायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत योजना के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रेम प्रकाश सिंह
विशेष सचिव

संख्या-12/2022/2098535(1)/2022/श्रम-2, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

चिरौंजी लाल
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।